जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
141/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 141/2016 अनवानी श्री योगेश मेघवाल निवासी वार्ड न0 31 अम्बेडकर नगर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

21–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश मेघवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश मेघवाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1)– सूरतगढ में रमन मोदी द्वारा संचालित ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से सूरतगढ शहर व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित राशन व मिटटी के तेल डिपो (स्थाई व अस्थाई) की लिखित व प्रमाणित प्रतिलिपि।
(2)– जनवरी 2015 से 30 जून 2016 तक ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी को वितरण हेतू जारी किये गये गेहू, चीनी व मिटटी के तेल की प्रतिमाह (जनवरी 2016 से 30 जून 2016) तक की बिल सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
(3)– ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी (रमन मोदी) को सुरेश कुमार के नाम से संचालित राशन डिपों के स्थानान्तरण नियम की सत्यापित प्रतिलिपि।
(4)– सूरतगढ़ उपखण्ड में ईंट भटठा व छात्रो को मिटटी तेल, जारी करने के नियम की सम्पूर्ण सत्यापित प्रतिलिपि।

जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र नियमानुसार निस्तारण हेतू उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को दिनांक 25.07.16 को प्रेषित कर अपीलार्थी को भी सूचित किया। अपीलार्थी श्री योगेश मेघवाल ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया है जबकि चाही गई सूचना धारा 7(9) की उल्लंघना नही करती है बल्कि जनहित से जुड़ी सूचना है। इसलिए चाही जा रही सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने प्रतिवेदन सं0 1170 दिनांक 29.09.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 5016 दिनांक 26.07.2016 से उनके कार्यालय में भिजवाया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा जिन 4 बिन्दुओ की सूचना चाही गई है वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2'च' व 7(9) के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया वर्जित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाकर पत्र सं0 966 दिनांक 11.08.2016 से सूचित कर दिया था। अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने पत्र सं0 रसद/सूकाअ/2016/966 दिनांक 11.08.2016 द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

कलैक्टर
गंगानगर

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 141/2016

आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचनांए जिस प्रारूप में चाही गई है वे इस कार्यालय में संधारित नही है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2'च' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता है। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रकार से सूचना चाही गई है उस रूप में सूचना उनके कार्यालय में रखी हुई नही है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है और तृतीय पक्ष से संबंधित है जिसमें कोई लोक हित भी प्रतीत नही होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर